सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

ई–मेल :rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ 4(466)परावि / पीसी / BNRGSK / प्रकाश व्यवस्था / 2017 / 653 जयपुर, दिनांक 28/4/2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् –समस्त।

विषय :– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (BNRGSK) के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में ।

महोदय,

ग्राम पंचायत स्तरीय भारत निर्माण राजीव गान्धी सेवा केंद्र (BNRGSK) में आईटी से संबधित सुविधाऐं उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं के निदान हेतु DoIT द्वारा अनुरोध किया गया है। चूंकि BNRGSK ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति है एवं इनके रखरखाव का उत्तरदायित्व भी ग्राम पंचायत का है।
अतः BNRGSK को प्रभावी करने के क्रम में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः–

1. प्रत्येक BNRGSK में ग्रिड द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। BNRGSK पूर्व से विद्युत कनेक्शन नहीं होने पर विद्युत कनेक्शन ग्राम पंचायत के नाम से लिया जावे। यदि ग्राम पंचायत व BNRGSK एक ही परिसर में अवस्थित है एवं ग्राम पंचायत के विद्युत कनेक्शन से BNRGSK को नियमित रुप से विद्युत आपूर्ति हो रही है तो पृथक से कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है।
2. भवन में अर्थिंग नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में बहुत सारे ई–मित्र प्लस मशीनों में Electric Fluctuations जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः प्रत्येक भवन में अर्थिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि पूर्व में अर्थिंग बनवाया हुआ है तो पुनः अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है।
3. आईटी उपकरणों के नए इंस्टालेशन / शिफ्टिंग हेतु कक्ष में अतिरिक्त 3–4 विद्युत साकेट लगाये जावे। इस हेतु DoIT के कार्मिक से परामर्श लिया जावे।
4. BNRGSK भवन में ई–मित्र कियॉस्क, ई–मित्र प्लस मशीन, आधार ऑपरेटर, बैंकिंग संवाददाता और अन्य आईटी उपकरणों में बिजली और स्थान उपलब्ध कराने के संबध में महात्मा गांधी नरेगा द्वारा दिनांक 01.04.2011 को जारी विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही करें (आदेश वेबसाईट nrega.raj.nic.in पर राजीव गांधी सेवा केंद्र **शीर्षक में वर्ष 2011–12** में उपलब्ध हैं)।

भवदीया

(डा. आरुषी मलिक)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक

Scanned with CamScanner

F4(466) BRNGSK/ प्रकाश व्यवस्था/ 653 दि. 28/4/2020

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को पालनार्थ।
6. A.C.P. PR H.Q for uploading on website

28/4

(मुकेश माहेश्वरी)

अधीक्षण अभियन्ता

Scanned with CamScanner